



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19419 वर्ष 2025

सर्वेश कुमार तिवारी एवं 17 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता

: राजेश सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह ने न्यायालय में यह अभिकथन किया है कि रिट याचिका, जहाँ तक यह रिट याचिकाकर्तागण क्रमांक 11, 12, 13 और 14 से संबंधित है, इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाए।
2. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
3. मूलतः इस रिट याचिका में मांगी गई राहत निरीक्षक के तीसरे पदोन्नति वेतनमान/ग्रेड पे (4600/- रुपये का ग्रेड पे) के अनुदान के लिए है, जिसमें 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के कारण प्रशिक्षण अवधि की गणना की जाएगी, जो कि दिनांक 26.08.2015, 03.03.2015, 05.11.2014 और 27.11.2011 के शासनादेश के दृष्टिगत है।
4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3/ पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा की जानी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 09.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। राहत केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं तक सीमित है जिनके पास इस न्यायालय के समक्ष क्षेत्रीय अधिकारिता है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)